न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।

दाण्डिक वाद सं0– 639/2026

सरकार बनाम पदम आदि।

मु0अ0सं0 312/2026
धारा– 115(2), 352, 109(1), 351(3) बी0एन0एस0
थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर।

आदेश

18.08.2026

पत्रावली पेश हुई। **अभियुक्तगण पदम पुत्र राजाराम, परविन्द्र पुत्र वीर सिंह व शोकेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह** जरिये जमानत न्यायालय में उपस्थित आये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पुलिस थाना देवबन्द द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 312/2026 धारा– 115(2), 352, 109(1), 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत मामला माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के वाद को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है।

पत्रावली मय समस्त प्रलेखों, कलेण्डर एवं वाद सम्पत्ति यदि कोई हो तो अविलम्ब माननीय सत्र न्यायालय प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक प्रति लोक अभियोजन को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

अभियुक्तगण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक **18–09–2026** को उपस्थित हो।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698